1195 1162

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 9a6f9294899a84b68ec8
Receipt Date : 20-Feb-2023 10:41:47 am
Receipt Amount : 26040/-
Amount In Words : Twenty Six Thousands Forty Rupees Only
Token Number : 202300021943
Office Name : SRO - Palamu
Document Type : Sale Deed
Payee Name : RANI DEVI (Vendee)
GRN Number : 2315856490

-: For Office Use :-

दस्तावेज़ जाँचा
23, 2, 23
हस्ताक्षर

...केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया...

NGDRS : National Generic Document Registration System

action Success! Please Note Your Transaction Id

Name	RaniDevi
Token No / Depositor ID	202300021943
Amount	26040
Transaction ID	9a6f9294899a84b68ec8
GRN	2315856490
CIN	10002162023022001518
Time	2023-02-20 10:41:47

रानी देवी

http://serviceonline.jharkhand.gov.in/...

लाo नo-111/03
मेदिनीनगर (पलामू)

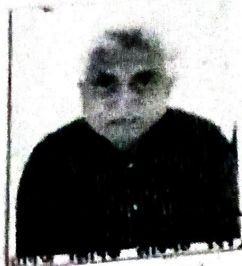

Online Fee Paid
ID/GRN No. 2315856274

A (1) 19530
L. C. R. 3
P. Fee 1

प्रतिबंधीत भूमि से प्लॉट
संख्या ...30... मुक्त है। दस्तावेज जाँचा

SALE DEED

हस्ताक्षर

1. लेख्यकारीगण का नाम एवं पूरा पता :– (बिक्रेतागण)

(1) श्री अशोक कुमार झा पिता का नाम स्व0 बद्री नारायण झा

(2) मीनी झा पति का नाम स्व0 विनय कुमार झा

दोनों सामान्य जाति (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं) निवास स्थान ग्राम एवं पोस्ट किशुनपुर थाना पाटन जिला पलामू एवं वर्तमान निवास स्थान मुहल्ला जेलहाता, शहर एवं थाना मेदिनीनगर जिला पलामू झारखण्ड पेशा क्रमशः सेवा निवृत एवं गृहिणी, नागरिकता भारतीय।

PAN क्रमशः ACHPJ8603R एवं

शपथ पत्र सं0 क्रमशः 764, 765 दिनांक– 21.2.2023

2. लेख्यधारी नाम एवं पूरा पता :– (क्रेता)

श्रीमती रानी देवी पति का नाम श्री सतेन्द्र गिरि जीवित सामान्य जाति (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं) निवास स्थान ग्राम दुल्ही, पोस्ट कटुवल थाना चैनपुर, जिला पलामू झारखण्ड, पेशा गृहिणी, नागरिकता भारतीय। PAN - FTNPD7177N शपथ पत्र सं0 766 ता0 21.2.2023

3. **लेख्यप्रकार** :— बिक्रय पत्र (SALE DEED)

4. (क) **सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यः**— मुबलीग 6,51,000/— (छः लाख एकावन हजार) रूपये मात्र।

(ख) **देय मूल्य** :— 6,51,000/— (छः लाख एकावन हजार) रूपये मात्र।

5. **सम्पति** :— मवाजी 03 (तीन) डी0 अवासीय जमीन गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण हेतु अन्दर ग्राम निमियां, मेदिनीनगर अंचल एवं नगर निगम मेदिनीनगर, जिला पलामू। इलाके वो जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर, जिला पलामू। हकियत लेख्यकारीगणको रैयती उत्तराधिकार हक हासिल हैं। दस्तावेज के साथ बिक्री भू—खण्ड का नक्शा संलग्न है, जो दस्तावेज का अभिन्न अंग एवं अंश है।

भूमि का विवरणः—

थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	हल्का नं0	वार्ड नं0	मौजा
192	51	1	1	2A	निमियां

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
24 (चौबीस)	30 (तीस)	03 (तीन) डी0	उ0— पूर्व से दस फीट चौड़ा रोड द0— प्लौट नं0 30 का अंश पू0— प्लौट नं0 50 का अंश प0— वर्तमान क्रेता ममता देवी एवं प्रियंका भारद्वाज

वार्षिक राजस्व— अनुमानित 3 रू0 अलावे सेस।

लगान पाने वाला— झारखंड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू।

विदित हो कि उपर वर्णित सम्पति लेख्यकारीगण को उत्तराधिकार में हक हासिल है। डिमाण्ड अरविन्द कुमार झा, विनय कुमार झा एवं अशोक कुमार झा के नाम से होल्डीग नं0 53/102 पर चलता है एवं रसीद कटती है तथा कम्प्युटरीकृत भाग वर्तमान 1 पृष्ठ सं0 105 पर दर्ज है।

पुनः विदित हो कि अरविन्द कुमार झा एवं इनकी धर्म पत्नी निःसंतान स्वर्गवास कर गये इस कारण अरविन्द कुमार झा द्वारा छोड़ी गई चल एवं अचल सम्पति का पूर्णरूपेण उत्तराधिकारी विनय कुमार झा एवं अशोक कुमार झा हुये। विनय कुमार झा भी स्वर्गवास कर गये इस कारण विनय कुमार झा द्वारा छोड़ी गई चल एवं अचल सम्पति का पूर्णरूपेण उत्तराधिकारी इनकी धर्म पत्नी मीनी झा हुई।

यह कि उक्त सम्पति पर लेख्यकारीगण का निर्विवाद रूप से दखल–कब्जा कायम है तथा हर तरह से साफ–सुथरा है, किसी तरह का वाद–विवाद नहीं है।

यह कि लेख्यकारीगण को रूपये की सख्त जरूरत अपना–अपना विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते है, जिसका प्रबन्ध पास से या अन्यत्र से कर पाना सम्भव प्रतीत नही हुआ है। तब इस संबंध में बिक्रेता परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ अच्छी तरह से विचार–विमर्श किये और सर्व सम्मति से यह निश्चय किये कि अपने–अपने उपरोक्त सम्पति को बिक्री कर दिया जाए और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अतः उपरोक्त सम्पति का बिक्री का प्रचार कराये। परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए और सबों ने इसका अलग–अलग मूल्यांकन भी किये, परन्तु अन्त में लेख्यधारी ने भी अपने–अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भली–भांति निरीक्षण किए तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए आज के बाजार भाव के अनुसार उचित तथा अधिकतम मूल्य में उक्त सम्पति का सौदा लेख्यधारी (क्रेता) के साथ पक्का कर दिये।

यह कि देय मूल्य की पूरी राशि लेख्यधारी ने लेख्यकारीगण को भुगतान कर दिये हैं। देय मूल्य की रकम में से अब लेख्यकारीगण को क्रेता से कुछ भी पाना शेष नही रह गया है, इसलिए उक्त सम्पति लेख्यधारी के नाम से लेख्यकारीगण ने हस्तातरित कर दिये और उपर वर्णित सम्पति पर से अपना-अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल-कब्जा लेख्यकारीगण ने लेख्यधारी को दे दिये। इस प्रकार से सम्पति के सम्बन्ध में बिक्रेता का आज तक जो भी हक, अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त थे, अथवा भविष्य में इनके उत्तराधिकारीयों को प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारी को प्राप्त हुए। अब लेख्यधारी (क्रेता) को अधिकार प्राप्त हुआ। अब इस भूखण्ड पर लेख्यधारी अपनी इच्छानुसार अपने एवं अपने परिवार के उपयोग तथा उपभोग करके लाभ उठावें, उक्त भू-खण्ड पर मकान बनवा कर निवास करें, अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। अब उक्त भू-खण्ड को यथावत क्रेता को सौंप कर जमीन का पूर्ण स्वामी (मालिक) बना दिये तथा दखल-कब्जा दे दिये। क्रेता को आज की तिथि से सम्पूर्ण हकियत हक अधिकार विद्यमान हो गई लेख्यकारीगण इनके दखल-कब्जे को पूर्ण रूप से सम्पुष्ट करते हैं। इससे अब लेख्यकारीगण या इनलोगों के परिवार के किसी भी अन्य उत्तराधिकारियों अथवा स्थानापन्न को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं रहा और ना ही भविष्य में कभी भी रहेगा।

अब लेख्यधारी को चाहिए कि इस सम्पति के सम्बन्ध में झारखंड सरकार के सिरिस्ते में अंचल कार्यालय द्वारा अपने नाम का दाखिल-खारिज करा लें तथा वार्षिक राजस्व कर (TAX) देकर इसके शुल्क की रसीद को स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

इस दस्तावेज में वर्णित सम्पति सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि, मंदिर-मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी भी न्यायलय द्वारा प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तांतरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तथा विवाद रहित एवं अधिभार मुक्त है।

20.2.23

अब उक्त भू-सम्पति से लेख्यकारीगण दर गुजरे व बाज आये इसलिए लेख्यकारीगण अपने-अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी-अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस विक्रय पत्र (Sale Deed) को क्रेता के पक्ष में तैयार करवा कर पढ़वा कर सुन-समझ लिये, तथा सही पाकर कर इस दस्तावेज को निष्पादित कर स्वयं से निबंधन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हो कर एकरार कर निबंधन की प्रक्रिया पूरा कराये जो भू-सम्पति हस्तांतरण का स्थायी प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

आज दिनांक-20.02.2023 स्थान-मेदिनीनगर जिला पलामू।

Sk
टंकक:-

रानी देवी
20.2.23

मैं [illegible] (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला0 नं0 111/03 स्थान मेदि[illegible] कि [illegible] दस्तावेज में जिन-जिन [illegible] हाथ के सभी अंगुलियों का [illegible]

[illegible] (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस [illegible] स्थान मेदिनीनगर, द[illegible]कर दोनों पक्षों को [illegible] बोले कि ठीक [illegible]

श्री

पिता/पति

ग्राम

थाना   जिला

ने दस्तावेज निबंधन हेतु कार्यालय में उपस्थित किया।

23 FEB 2023